



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी

गरियाबन्द वन मण्डल – गरियाबन्द, जिला – गरियाबन्द (छ.ग.)

Phone No. (office)- 07706 296350

E-mail- dfogariaband.@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./एफ.सी.ए./22-23/636

गरियाबंद, दिनांक 05/04/2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Gariyaband Forest Division under Gariyaband District of Chhattisgarh State, Area 2.921 ha.
पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/155724/2022

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-939A/398 रायपुर, दिनांक 22/02/2023.
2. आपका पत्र क्रं./तक.शा./विविध/2791 रायपुर दिनांक 06.03.2023.
3. असिसटेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/गरियाबंद/2023 दिनांक 20/03/2023.

—000—

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत वन भूमि के गैर वानिकी कार्य Laying of the OFC along with Ro (Road Corridor) Under Networking strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Gariyaband District of Chhattisgarh हेतु वनभूमि रकबा 2.921 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव में आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित है। विवरण निम्नानुसार है :-

आपत्ति	निराकरण
ऑनलाईन त्रुटियां :- 1. प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.366 हे. आवेदित किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्रं. 128 में कलेक्टर द्वारा रकबा 0.359 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। इस प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र में 0.007 हे. का अंतर है।	कलेक्टर, जिला-गरियाबंद द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.007 हे. अन्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसे ऑनलाईन Form A Part-I एवं Part-II में अपलोड कर दिया गया है। प्रति संलग्न।
2. Form A Part-II के कालम नं. 16 भाग 3 अपलोड नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर से संबंधित।
ऑफलाईन त्रुटियां :- 1. कंडिका 13 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिनांक एवं स्थान का उल्लेख किया जावे।	संबंधित ग्राम पंचायत का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक एवं स्थान अंकित है। प्रस्ताव के कंडिका-13, पेज नं. 62-113 में संलग्न।
2. प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.366 हे. आवेदित किया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ क्रं. 128 में कलेक्टर द्वारा रकबा 0.359 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। इस प्रकार अनापत्ति प्रमाण पत्र में 0.007 हे. का अंतर है। अतएव 0.007 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	कलेक्टर, जिला-गरियाबंद द्वारा राजस्व वन भूमि रकबा 0.007 हे. अन्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रस्ताव के कंडिका-19, पेज नं. 128 में संलग्न।

अतः उक्त कमियों की पूर्ति कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न :- प्रस्ताव मूलतः 03 प्रतियों में।

वन संरक्षक

सह प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

पू.क्रमांक/मा.चि./एफ.सी.ए./22-23/637

गरियाबंद, दिनांक 05/04/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़। पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-939A/398 रायपुर, दिनांक 22/02/2023 के संदर्भ में।
2. असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)। पत्र क्र./जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/गरियाबंद/2023 दिनांक 20/03/2023 के संदर्भ में।


वन संरक्षक

सह प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद